

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल 462004

क्रमांक-1339 / 205 / आउशि / बजट / 2018
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27/6/2018

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,
(नीचे दर्शाये अनुसार)
मध्यप्रदेश

विषय- योजना क्रमांक 5551 आधुनिक तकनीकी से शिक्षण व्यवस्था योजना अन्तर्गत बजट आबंटन
-वित्तीय वर्ष 2018-19

उपरोक्त विषय में योजना क्रमांक 5551-आधुनिक तकनीकी से शिक्षण व्यवस्था अन्तर्गत निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के समक्ष अंकित अनुसार बजट आबंटन जारी किया जाता है :-

S.No.	Name of College	Place	District	College Letter No and Date	Allotment Amount Rs.	Segment Code
1	Govt College	Malajkhand	Balaghat	22/21.5.18	350000	0101
2	Govt College	Multai	Betul	220/29.5.18	400000	0101
3	Govt Naveen College	Nawgaon	Chhatarpur	61/10.5.18	250000	0103
4	Govt College	Badnawar	Dhar	343/10.5.18	250000	0102
5	Govt College	Gandhwani	Dhar	721/11.5.18	300000	0102
6	Govt Shyamlat Pandaviya College	Morar	Gwallor	92/27.4.18	250000	0101
7	Govt College	Sanawad	Khargone	415/12.6.18	105000	0102
8	Govt College	Sihora	Narsinghpur	753/17.6.18	350000	0101
9	Govt Sitaram Jaju Girls College	Neemuch	Neemuch	1003/19.5.18	200000	0103
10	Govt College	Sitwani	Raisen	168/21.6.18	450000	0101
11	Govt. Sindhiya College	Kolaras	Shivpuri	278/2.5.18	250000	0101
12	Govt Sanjay Gandhi Smrati College	Ganjbasoda	Vidisha	1397/18.5.18	400000	0101
13	Govt College	Shamshabad	Vidisha	1578/18.5.18	250000	0101
	Total				3605000	

(2) उपरोक्त राशि का आबंटन मांग के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध बजट के अनुसार अनुपातिक रूप से किया गया है।

(3) उपरोक्त आबंटित राशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2018-19 में महाविद्यालय के नाम के समक्ष अंकित सेगमेंट कोड अन्तर्गत निम्नलिखित बजट शीर्ष में विकलनीय होगा :-

सेगमेंट कोड	बजट शीर्ष
0101- उच्च शिक्षा (सामान्य)	44-2202-03-102-0101-5551-42-007
0102- आदिवासी उपयोजना	44-2202-03-103-0102-5551-42-007
0103- अनुसूचित जाति उपयोजना	44-2202-03-103-0103-5551-42-007

(4) उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से योजना क्रमांक 8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य योजना को योजना क्रमांक 5551-आधुनिक तकनीकी से शिक्षण व्यवस्था योजना में समाहित (मर्ज) किया गया है। अतः उपरोक्त आवंटित राशि विद्यार्थियों के लिए आधुनिक तकनीकी से शिक्षण व्यवस्था हेतु स्मार्ट क्लास रूम के लिए के लिए आवश्यकता सामग्री तथा कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, ब्राड बैंक कनेक्शन इत्यादि के लिए प्राथमिकता अनुसार किया जावे।

(5) सामग्री क्रय एवं राशि के व्यय/भुगतान करते समय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों एवं म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(6) सामग्री का क्रय एवं राशि का व्यय/भुगतान प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत, अद्यतन म०प्र० भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन सुनिश्चित किया जावे।


(7) क्रय सामग्री एवं व्यय राशि का विधिवत अभिलेख संधारण किया जावे एवं गुणवत्ता आदि का परीक्षण कर प्रमाण पत्र अंकित किया जावे तथा उपयोग की गई राशि का पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये।

(8) मितव्ययता का ध्यान रखें एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे।

(9) किसी भी स्थिति में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाए।

(10) किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।


"आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ०क०- 1340 / 205/बजट/2018
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक-27/6/2018

1. विशेष सहायक मान, मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
2. अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
4. समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, योजना शाखा, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल।
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी.सेल कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल
7. समस्त संबंधित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।


अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

